(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 40/2018-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 4 सितंबर 2018

सा.का.नि. (अ).-- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 और केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 40 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1346(अ), तारीख 28 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 53/2017-केन्द्रीय कर तारीख 28 अक्तूबर, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, ऐसे माल के संबंध में जो जुलाई, 2017 से जून 2018 की अवधि के दौरान किसी फुटकर कामगार को प्रेषित है या किसी फुटकर कामगार से प्राप्त या किसी एक फुटकर कामगार से दूसरे फुटकर कामगार को भेजा गया है, **प्ररूप जीएसटी आईटीसी-04** में घोषणा करने के लिए समय सीमा को 30 सितंबर, 2018 तक बढाते हैं ।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(भाग)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार